प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर,2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार (बरेली) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती मीरा पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी श्रीमती मीरा पत्नी श्री राजेश कुमार, गुलडिया लखा, थाना-शीशगढ़, जनपद-बरेली का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा पारिवारिक विवाद व आपसी क्लेश के कारण दिनांक 27.10.2017 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती कमलेश के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-474/2018, भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 323/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-11, बरेली के दण्डादेश दिनांक 23.02.2022 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.10.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 09 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, पुन अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, मृतका के मायके वालों में कसीदगी है महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने की स्थिति में किसी अपराधिक घटना के होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की की संस्तुति नहीं की गयी।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार (बरेली) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती मीरा (बन्दी संख्या-56/2022) पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी जनपद-बरेली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1457/2025/1865(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार(बरेली)।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।